

**घोषणा पत्र**  
(श्रमिक की पुत्री हेतू इलैक्ट्रिक स्कूटर)

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र/पत्नी श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_  
बोर्ड पंजीकरण संख्या/Online ID \_\_\_\_\_ निम्नलिखित  
घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरी सुपुत्री \_\_\_\_\_ जो कक्षा \_\_\_\_\_ में अनुक्रमांक/नामांकन संख्या \_\_\_\_\_ सत्र/वर्ष \_\_\_\_\_ कॉलेज/संस्थान \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ हरियाणा में नियमित विद्यार्थी है इस संदर्भ में उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र सही एवं साथ सलंग्न है।
2. मेरी पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है एवं अविवाहित है।
3. मेरी पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस साथ सलंग्न है (अगर लागू है तो)
4. मेरे परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलैक्ट्रिक वाहन नहीं है।
5. इलैक्ट्रिक स्कूटर की वित्तीय कोटेशन मेरी पुत्री \_\_\_\_\_ के नाम साथ सलंग्न है।
6. मैं इलैक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की एक महीने की अवधि तक Online अपलोड कर दूंगा/दूंगी तथा ऐसा ना कर पाने की स्थिति में बोर्ड मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से वंचित करने का अधिकारी होगा।

मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई इलैक्ट्रिक स्कूटर के लिए प्रोत्साहन राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान: \_\_\_\_\_ आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि: \_\_\_\_\_ मो0 नं0: \_\_\_\_\_

योजना